भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
दिशानिर्देश
इंटर्नशिप कार्यक्रम

उद्देश्य

'इंटर्नशिप प्रोग्राम' का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" की अवधारणा को साकार करना है।

पात्रता

भारत के गैर-स्तर-। शहरों और ग्रामीण भागों से महिला छात्र, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक कार्यक्रम के पात्र होंगे। महिला छात्रों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों (इसके बाद प्रशिक्षु के रूप में संदर्भित) को किसी भी विश्वविद्यालय/ शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक संस्थान में नामांकित/संबद्ध होना जरुरी है।

आयु सीमा

21 साल से 40 साल।

गतिविधियों का दायरा

मुख्यतः यह कार्यक्रम छात्रों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों को अल्पकालिक सहयोग प्रदान करके मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों से परिचित कराने में मदद करने के लिए है। प्रशिक्षु को मंत्रालय की चल रही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पायलट प्रोजेक्ट/माइक्रो स्टडी शुरू करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मंत्रालय इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षुओं को अपने अधिदेश, विशिष्ट कार्यक्रमों और नीति विश्लेषण के बारे में गुणात्मक जानकारी देने का प्रयास करता है ताकि वे भविष्य में विभिन्न मंचों पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा सकें।

मंत्रालय का उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षु की प्रतिभा का लाभ उठाना है, जिससे उन्हें योजनाओं के कार्यान्वयन में और दक्षता लाने के लिए कार्य करने का अवसर मिले और साथ ही विभिन्न कार्यों के माध्यम से अपनी नीतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके। सरकारी कार्यक्रमों/पहलों से संबंधित अनुसंधान के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम सार्थक बातचीत और स्थान के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। प्रशिक्षु अनुभवजन्य विश्लेषण, रिपोर्टिंग, नीति दस्तावेज और ब्रीफिंग के रूप में इनपुट देकर नीति निर्माण में योगदान करने में सक्षम होंगे। इस कार्यक्रम से देश में महिलाओं और बच्चों के मुद्दों और समस्याओं से संबंधित संभावित सूचना अंतराल को कम करने की उम्मीद है।

इस पहल के तहत मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत करने; देश में महिलाओं और बच्चों की भलाई और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्य लाइन मंत्रालयों और हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए प्रशिक्षु को माहोल और सेवाएं प्रदान करेगा ।

अवधि

इंटर्नशिप प्रोग्राम साल भर में दो महीने के बैच के रूप में उपलब्ध होगा। प्रशिक्षु अपना आवेदन जमा करते समय दो महीने के किसी भी बैच का चयन कर सकते हैं।

प्रशिक्षु की संख्या

मंत्रालय प्रत्येक बैच में 20 इंटर्न लेगा।

प्रोत्साहन राशि

क. प्रत्येक इंटर्न को प्रति माह 20,000/-रुपये का एकमुश्त स्टाइपेन्ड और मंत्रालय में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कार्यक्रम के अंत में घर वापस जाने के लिए यात्रा लागत (डीलक्स/एसी बस/3 टियर एसी ट्रेन द्वारा) की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दौरे पर जाने

वाले इंटर्न को भारत सरकार की मौजूदा दरों के अनुसार यात्रा लागत (डीलक्स/एसी बस/3 टियर एसी ट्रेन द्वारा) और डीए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रशिक्षुओं को कागजात जमा करने/प्रस्तुत करने/किए गए कार्य की रिपोर्ट देने के आधार पर कार्यक्रम के सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

ख. प्रशिक्षुओं को दिल्ली में उनके कार्यक्रम की अवधि तक साझेदारी के आधार पर छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी। छात्रावास की सुविधा में केवल संलग्न बाथरूम के साथ प्रत्येक कमरे में ट्रिपल शेयरिंग अकोमोडेशन, बिस्तर (गद्दा शामिल नहीं है), टेबल, कुर्सी और अलमारी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी। मैस शुल्क आवास में शामिल नहीं है और छात्रावास की सुविधा का लाभ उठाने वाले प्रशिक्षु द्वारा वहन किया जाना है। छात्रावास की सुविधा कार्यक्रम शुरू होने के 2 दिन पहले से कार्यक्रम की समाप्ति के 2 दिन बाद तक उपलब्ध होगी (उदाहरण के लिए दो महीने के कार्यक्रम के लिए 1 जून से शुरू होने वाले इंटर्नशिप बैच के लिए, छात्रावास की सुविधा 30 मई 2023 के पूर्वाह्न से 2 अगस्त 2023 दोपहर तक उपलब्ध होगी)।

ग. प्रशिक्षुओं को मंत्रालय में बैठने की व्यवस्था, इंटरनेट सुविधा और लेखन सामग्री जैसी आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी।

घ. प्रशिक्षु को एक इंटर्नशिप समन्वयक की सहायता दी जाएगी जो अन्य हितधारकों के साथ नेटवर्किंग और संचार सहित संपूर्ण इंटर्नशिप अभ्यास के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

आवेदन कैसे करें

संभावित प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम पोर्टल www.wcd.intern.nic.in पर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। आवेदन हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच जमा किए जा सकते हैं। प्रशिक्षु उस बैच को चुन सकते हैं जिसके लिए वे कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन केवल 6 महीने पहले तक स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार एक बार इंटर्नशिप के लिए चुने जाने के बाद बाद के किसी भी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

चयन

प्रशिक्षु का चयन इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर मंत्रालय चयन प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के कुछ संकाय सदस्यों/विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकता है।

शपथ/घोषणा प्रस्तुत करना

क. चयनित प्रशिक्षु घोषित करेगी कि वह समझती है कि मंत्रालय द्वारा इंटर्नशिप का प्रस्ताव नौकरी का प्रस्ताव या भविष्य की किसी नौकरी की प्रतिबद्धता नहीं है; इसलिए इंटर्नशिप के प्रस्ताव को उस मामले के दावे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

ख. चयनित प्रशिक्षु इंटर्नशिप के लिए रिपोर्ट करने से पहले गोपनीयता की घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

इंटर्नशिप की समाप्ति

मंत्रालय के पास प्रशिक्षु के प्रदर्शन का मूल्यांकन/समीक्षा करने और विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करने का अधिकार होगा। प्रशिक्षुओं से यह आशा की जाएगी कि वे अपनी परियोजना गतिविधि को समय पर और संतोषजनक ढंग से पूरा करें। गैर-अनुपालन और गैर-निष्पादन के मामले में मंत्रालय को संबंधित प्रशिक्षु को इस आशय का नोटिस जारी करके इंटर्नशिप कार्यक्रम को समाप्त करने का अधिकार होगा।

संपर्क

किसी भी अन्य विवरण/प्रश्न के लिए, निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते है:

सहायक निदेशक (इंटर्नशिप कार्यक्रम)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
ग्राउंड फ्लोर, जीवन तारा बिल्डिंग,
अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001
ई-मेल: mwcd-research@gov.in

****